न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं.35/अपील/2024
(GCMS No. 2024/102)

तारीख दायरा
09.07.2024

तारीख निर्णय
28.10.2024

प्रकाशचन्द आ. मदनलाल जाति ब्राहमण
निवासी ग्राम खुनेटिया, तहसील एवं जिला बून्दी
हाल निवासी आदर्श नगर, बून्दी रोड, कुन्हाडी, कोटा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. अनिल आ. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खुनेटिया तह.बून्दी
2. अनिता पुत्री मदनलाल जाति ब्राहमण नि. ग्राम खुनेटिया तह. बून्दी
3. लाडकंवर पत्नी मदनलाल जाति ब्राहमण नि.ग्राम खुनेटिया तह.बून्दी
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1, 2, 3 की ओर से श्री सुनील गौत्तम, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 28.11.2010 ग्राम खुनेटिया से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण खातेदार मदनलाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 35/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/102 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 द्वारा जवाब अपील दिनांक 12.08.2014 प्रस्तुत की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खतौनी जमाबंदी संख्या 10 की आराजी खसरा सं. 218 रकबा 0.8767 है., ख.सं. 237 रकबा 0.0154 है., ख.सं. 239 रकबा 0.1077 है. एवं ख.सं. 339/236 रकबा 0.3922 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.3920 हैक्टेयर वाकेग्राम खुनेटिया तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में अपीलांट के पिता मदनलाल ब्राहमण के खाते में अंकित है। खातेदार मदनलाल के 2 पुत्र प्रकाशचन्द और अनिल एवं एक पुत्री अनिता तथा पत्नी लाडकंवर है। खातेदार मदनलाल की मृत्यु होने पर फोती इन्तकाल संख्या 278 दिनांक 28.11.2010 को उसके वारिसान ओमप्रकाश, अनिल पि0 मदनलाल, अनिता पुत्री मदनलाल, लाडकंवर बेवा मदनलाल के पक्ष में दर्ज किया गया। उक्त फोती नामान्तरकरण में प्रकाशचन्द का नाम ओमप्रकाश दर्ज कर दिया गया। जबकि ओमप्रकाश नामक कोई भी व्यक्ति मृतक खातेदार मदनलाल का वारिस नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार मदनलाल के जाइन्दा पुत्र प्रकाशचन्द का नाम दर्ज नहीं कर कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलांट का उक्त पैतृक कृषि भूमि पर जन्म से ही अधिकार होने से वह अपने 1/4 हिस्से पर नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार मदनलाल के वारिसान अपीलांट को बिना नोटिस दिये, सुनवाई के प्राकृतिक सिद्धान्त की अवहेलना की जाकर उक्त आदेश पारित किया गया है जो सभी उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 28.06.2024 को पटवारी हल्का से मिलने पर हुई। उसी दिन नकल नामान्तरकरण प्राप्त की जाकर अपील अवधि मध्य पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर ''ओमप्रकाश'' विलोपित किया जाकर उसके स्थान ''प्रकाशचन्द'' दर्ज करते हुए वारिसान के सही नाम प्रकाशचन्द ,अनिल पि0 मदनलाल, अनिता पुत्री मदनलाल, लाडकंवर बेवा मदनलाल के नाम दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बून्दी को आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2, 3, ने बहस के दौरान अपील अपीलांट में वर्णित तथ्यों पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 28.11.2010 की जानकारी दिनांक 28.06.2024 को होना प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर, बून्दी

अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि आराजी किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम खुनेटिया का खातेदार मदनलाल था। खातेदार मदनलाल का देहान्त होने पर फोती नामान्तरकरण सं. 278 दिनांक 28.11.2010 ओमप्रकाश, अनिल पि0 मदनलाल, अनिता पुत्री मदनलाल, लाडकंवर बेवा मदनलाल के नाम तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि फोती नामान्तरकरण में मदनलाल के पुत्र प्रकाशचन्द के स्थान पर ओमप्रकाश नाम दर्ज कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पर जो सजरा बनाया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना अंकित करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांट द्वारा अपना आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, जन–आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों की छायाप्रतियां एवं सहखातेदार अनिल पुत्र मदनलाल, अनिता पुत्री मदनलाल एवं लाडकंवर बेवा मदनलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित सजरे के गलत होने तथा वारिसान की सुनवाई नहीं किये जाने का प्रश्न है तो नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच की जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है, इसके अभाव में अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध प्रकट होता है। अतः न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार मदनलाल के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, नये सिरे से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी